

नगर परिषद कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि

1.4.15 से 31.3.17

भाग-एक

1 प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन (एल०ए०) खण्ड –(ख) IV/ दिनांक 10.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद कांगड़ा के लेखों का अंकेक्षण अवधि 1.4.15 से 31.3.17 का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर परिषद कांगड़ा में निम्नलिखित प्रधान एवं कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे :-

प्रधान

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति सुमन वर्मा	01.04.15 से लगातार

कार्यकारी अधिकारी

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री किशोरी लाल ठाकुर	01.04.2015 से 09.03.16
2	श्रीमति कंचन बाला	10.03.16 से लगातार

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	(₹) लाखों में
1	रोकड़ वही का अन्तशेष कम दर्शाना	4(ख)	0.21
2	अनुदान का उपयोग हेतु शेष	6	369.18
3	गृह कर की राशि वसूली हेतु शेष	7	28.28
4	दुकानों के किराये की राशि वसूली हेतु शेष	8	13.99
5	रख-रखाव प्रभारों की राशि वसूली हेतु शेष	9	20.16
6	रख-रखाव प्रभारों के रूप में देय राशि की कम मांग करना	10 (क)	4.10
7	विभिन्न मोबाइल टावरों का नवीनीकरण शुल्क वसूली हेतु शेष	11	1.27
8	नए आवासीय/वाणिज्य घरों के निर्माण हेतु डम्पिंग चार्जिज वसूल न करना	14	1.50
9	बजट प्रावधान से अधिक किया गया व्यय	15 (क)	58.73

10	बिजली कर (1%) के रूप में वसूली हेतु शेष	18	2.38
11	वाहन/कार पार्किंग को ठेके पर देने से हुई वित्तीय हानि	19	1.38
12	विभिन्न कर्मचारियों के GPF/CPF खातों में ब्याज के रूप में अधिक जमा	21	5.98
13	श्री सुरेन्द्र शर्मा, कनिष्ठ सहायक को GPF के रूप में प्राप्त राशि, GPF खाते में अधिक जमा करवाना	22	0.42

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट “क” पर दिया गया है।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद कांगड़ा के अवधि 1.4.2015 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण श्री विजय कुमार वालिया, सहायक नियन्त्रक द्वारा दिनांक 12.06.17 से 26.08.17 तक कार्यालय नगर परिषद कांगड़ा में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2015-16	10/2015	11/2015
2016-17	11/2016	05/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषद) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई हैं, के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं है। अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क

परिषद के अवधि 1.4.15 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹57800 आँका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क को राजकीय कोष में जमा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर शिमला भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या FIN(LA)/C/K&C/2017-66 दिनांक 16.08.2017 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में नगर परिषद द्वारा ड्राफ्ट संख्या 724021 दिनांक 22.08.17 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थिति

नगर परिषद कांगड़ा अवधि 01/04/15 से 31/03/17 के लेखों की वित्तीय स्थिति (स्वयं स्रोत से आय तथा सहायता अनुदान से प्राप्त आय) निम्न प्रकार से है जिसका विस्तारपूर्वक विवरण परिशिष्ट “ख” पर दिया गया है।

(क) मुख्य रोकड़वही :- (परिशिष्ट “ख”)

Year	Opening Balance	Receipt	Intt.	Grants recived	Total	Payments	Closing Balance
2015-16	47789242	12316564	2481119	32694698	95281623	44125422	51156201
2016-17	51156201	12777317	3807723	131625876	199367117	137750873	61616244

नोट :- वर्ष 2015-16 व 2016-17 में उपरोक्त व्यय में जल एवं जन स्वास्थ्य विभाग को क्रमशः ₹168.67 लाख व ₹1033.93 लाख शहरी विकास विभाग से प्राप्त सीवरेज प्रणाली अनुदान के हस्तांतरण किये गए हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट- ख में संलग्न है ।

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹61616244
दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष ₹61633179
अन्तर की राशि : ₹16935

Bank Reconciliation Statement

Particulars	Amount
Balance a per Cash Book as on 31.03.17	61616244
Add:- Cheque issued but not presented for payment: Cheque No. 031317(UBI) Dt. 10.03.17 ₹53, Cheque No. 031338(UBI) Dt. 03.02.17 ₹300, Cheque No.041371(UBI) Dt. 27.03.17 ₹1155, Cheque No. 041372(UBI) Dt. 27.03.17 ₹650, Cheque No. 544269(KCCB)Dt.21.03.17 ₹200 Cheque No. 544275(KCCB) Dt. 23.03.17 ₹3510, Cheque No.544271(KCCB) Dt.21.03.17 ₹26500	(+)32368
Less:- Cash in Hand (Income received on dt.31.03.17 but deposited on dt. 01.04.17).	(-)15433
Balance as per Pass Book	61633179

(ख) दिनांक 31.03.17 को रोकड़वही का अन्तशेष ₹ 0.21 लाख से कम दर्शाने बारे

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.17 को सावधि जमा योजनाओं में ₹629070 अन्तशेष के रूप में जमा थे (परिशिष्ट “ग”), जबकि रोकड़ वही में दिनांक 31.03.17 को सावधि जमा योजना में निवेशित की केवल ₹608505 की ही प्रविष्टि की गयी थी (परिशिष्ट “ ख ”)। इस प्रकार ₹20565 ब्याज के रूप में अर्जित आय से रोकड़वही कम दर्शाई गयी थी जोकि एक अनियमितता है। अतः अविलम्ब उक्त ब्याज के रूप में अर्जित आय की प्रविष्टि करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

(ग)नगर परिषद कांगड़ा के तीन वर्षों (अवधि 04/14 से 03/17) के आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	कुल राशि	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	35276089	114999925	150276014	102486772	47789242
2015-16	47789242	48182293	95971535	44815334	51156201
2016-17	51156201	292020362	343176563	281560319	61616244

5 निवेश:- परिशिष्ट – “ ग ” के अनुसार दिनांक 31.03.17 को निवेश की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

क्र.स	एफ.डी.आर. न. व बैंक का नाम	दिनांक	निवेशित राशि	दर	अवधि (वर्ष)	परिपक्वता दिनांक
1	50060211204-KCCB	11.12.16	38001	7%	1	11.12.17
2	50060211204-KCCB	11.12.16	38001	7%	1	11.12.17
3	20033117842-KCCB	17.10.16	58891	7.3%	1	17.10.17
4	65228511877-SBOP	02.03.15	494177	9%	3	02.03.18

6 अनुदान की ₹ 369.18 लाख व्यय हेतु शेष

नगर परिषद कांगड़ा की अंकेक्षणाधीन अवधि 1.4.15 से 31.3.17 तक प्राप्त अनुदान राशियों व व्यय की गई राशियों तथा अनुदान के अन्तःशेष राशि की वित्तीय स्थिति का विवरण परिशिष्ट “घ” दिया गया है।

अंकेक्षण के दौरान अनुदानों व उनसे प्राप्त की गयी राशि की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राशि में से दिनांक 31.03.17 को ₹36917704 अनुपयुक्त पडी थी जबकि अनुदानों से संबन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक अथवा दो वर्ष के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अतः इन अनुदान राशियों को समयवध उपयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयोग राशियों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उन्हीं उद्देश्य व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिन हेतु यह राशियाँ प्राप्त हुई थी।

7 गृह कर की बकाया ₹28.28 लाख की वसूली शेष

परिषद की आय का मुख्य साधन गृहकर है, जिससे प्राप्त आय को वहाँ की जनता की सुविधाओं के लिए खर्च किया जाता है लेकिन नगर परिषद को दिनांक 31.03.17 तक ₹2827584 गृहकर के रूप में वसूलनी शेष थी, जिसका विवरण परिशिष्ट “ड.” में दिया गया है, जो कि एक अति गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अतः इसे शीघ्र वसूल करके सम्बंधित निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

8 दिनांक 31.03.17 तक दुकानों के किराये की बकाया ₹13.99 लाख की वसूली शेष

नगर परिषद द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर दुकानों/स्टालों/खोखों इत्यादि का निर्माण किया गया है तथा उन्हें किराये/पट्टे पर चढाया गया है तथा इनका किराया परिषद की आय का मुख्य स्रोत है। नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना परिशिष्ट “ च ” के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक किराये के रूप में ₹1398947 वसूली हेतु

लम्बित थी, जबकि निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या यू०एल०बी० एच०ए० (7) - 1/87-9237/9284 दिनांक 20.06.01 द्वारा करों इत्यादि की शत प्रतिशत वसूली को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गए थे, लेकिन कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद कांगड़ा द्वारा इस सम्बंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाये जोकि एक चिन्ताजनक विषय है। अतः परामर्श दिया जाता है कि राशि की वसूली हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाये जाएँ। वसूली योग्य कुल राशि में से ₹427095 केवल 5 दुकानदारों से वसूलना शेष थी जिनका विवरण निम्नलिखित है :-

क्र.सं.	दुकान संख्या	दुकानदार का नाम	दिनांक 31.03.17 को वसूली योग्य राशि
1	66	Sh. Mehar Singh s/o Sh. Rashila Ram	95255.00
2	67	Sh. Rajesh kumar s/o Sh Harbans Lal	131100.00
3	69	Sh.Prakash Chand s/o sh. Kihru Ram	70930.00
4	73	Sh. Suhil kumar s/o Sh.Bal Krishan	50810.00
5	80	Sh. Sandeep kumar s/o Sh. Trilok Chand	79000.00
कुल राशि			427095.00

अतः समस्त बकाया किराये की राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 दिनांक 31.03.17 को रख-रखाव प्रभारों के रूप में देय ₹ 20.16 लाख वसूली हेतु शेष

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.17 को नगर परिषद के रख-रखाव प्रभारों के रूप में देय ₹2015994 वसूली हेतु शेष थे, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण परिशिष्ट “छ” पर दिया गया है। यह एक अनियमितता है। अतः परिषद द्वारा इस बकाया राशि की वसूली हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाकर राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये।

10 रख-रखाव प्रभारों के रूप में देय ₹4.10 लाख की कम मांग करना

(क) जाँच के दौरान पाया गया कि हाउसिंग बोर्ड कलोनी –कांगड़ा (नगर परिषद-कांगड़ा के अंतर्गत) की अवधि 16.06.15 से 31.03.17 तक रख-रखाव प्रभारों के रूप में देय राशि ₹345967 की कम मांग कि गयी थी, जिसका विवरण परिशिष्ट “ज” में दिया गया है, जबकि हिमुडा मंडल द्वारा दिनांक 16.06.15 से प्लाटों/हाउसों/फ्लैटों इत्यादि हिमुडा कि समस्त कलोनियों के रख-रखाव प्रभारों की दरें BOD मीटिंग एजेंडा मद स.37(19)के अंतर्गत ₹10 प्रति स्क्वियर मीटर से ₹25 प्रति स्क्वियर मीटर संशोधित कर दी गयी थी तथा Handing/Taking over पत्र पृष्ठांकन स. HIMUDA/SD/DMA/Handing over file/12-152-60 04.05.12 के नियम व शर्त स.-7 में यह स्पष्ट है कि हिमुडा कलोनी-कांगड़ा के रख-रखाव प्रभारों कि मांग व वसूली नगर परिषद द्वारा ₹14 प्रति स्क्वियर मीटर फ्लैट के लिए व ₹10 प्रति स्क्वियर मीटर प्लाट एरिया के लिए की जायेगी। यदि दरें परिवर्तित होती हैं तो परिवर्तित दरों से मांग व वसूली की जायेगी। रख-रखाव प्रभारों के अवलोकन पर पाया गया कि परिषद द्वारा ₹14 प्रति स्क्वियर मीटर फ्लैट के लिए व ₹10 प्रति स्क्वियर मीटर प्लाट एरिया की दर से बिल जारी किए गए थे जबकि यह बिल संशोधित दरों ₹25 प्रति स्क्वियर मीटर फ्लैट/प्लाट पर दिनांक 16.06.15 से जारी किए जाने अपेक्षित थे जिसके परिणामस्वरूप परिषद द्वारा रख -रखाव प्रभारों के रूप में ₹345967 की कम

मांग की गयी थी। अतः संशोधित दरों पर रख-रखाव प्रभारों की मांग व वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब ₹345967 की बिल/मांग जारी करके राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) मांग व वसूली रजिस्टर के पृष्ठ स.-17 की जाँच में पाया गया कि हाऊसिंग कलोनी कांगड़ा के अधिशाषी अभियंता, HPPWD (B&R) कांगड़ा के 8 न. एच.आई.जी. घरों, क्षेत्र 230 प्रति स्क्वेर मीटर प्रति घर की वर्ष 2013-14 से रख-रखाव प्रभारों के रूप में ₹18400 प्रति घर कि बजाय ₹2300 प्रति घर कि दर से बिल/मांग की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप 8 न. घरों के लिए ₹64400 की कम मांग की गयी थी जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	जितनी जितनी राशि की मांग की गयी	जितनी जितनी राशि की मांग की जानी चाहिए थी	जितनी राशि की कम मांग की गयी
2013-14	2300	18400	16100
2014-15	2300	18400	16100
2015-16	2300	18400	16100
2016-17	2300	18400	16100
कुल योग	9200	73600	64400

अतः रख-रखाव प्रभारों के रूप में कम मांग की गयी ₹64400 की यथाशीघ्र मांग/बिल जारी करके, इस राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित कि जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

- 11 दिनांक 31.03.17 को विभिन्न मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फीस ₹1.27 लाख वसूली हेतु शेष मोबाइल टावरों के रजिस्टर की जांच में पाया कि दिनांक 31.03.17 को विभिन्न मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फ्रीस के रूप में ₹127220 वसूली हेतु शेष थे, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

रिलायंस टेलिकॉम लिमिटेड	शून्य
बी.एस.एन.टॉवर.	58220
एयर सेल टॉवर	38750
वोडाफोन टावर	250
टाटा टेली सर्विस	30000
रिलायंस जियो	शून्य
ए.टी.सी. टावर	शून्य
कुल राशि	127220

परिशिष्ट “ झ “ पर विस्तारपूर्वक विवरण दिया गया है। अतः उक्त बकाया राशि ₹127220 को वसूल करने हेतु उचित कार्यवाही करके राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये।

- 12 तहबाजारी की दरों में बढौतरी करने के संदर्भ में

जाँच में पाया गया कि परिषद द्वारा अवधि अगस्त 2011 से मार्च, 2017 तक ₹20 प्रतिदिन की दर से वसूल की जा रही है जबकि नजदीकी निगम/परिषदों में तहबाजारी दरें निम्न प्रकार से हैं:-

नगर निगम – धर्मशाला ₹50/- प्रतिदिन

नगर परिषद- नगरोटा ₹30/- प्रतिदिन

नगर परिषद –पालमपुर ₹30/- प्रतिदिन

अतः उपर्युक्त परिषदों/निगम की दरों को ध्यान में रखते हुए परिषद प्रशासन को यह परामर्श दिया जाता है कि तहबाजारी दरों में ₹20 से ₹30 या ₹40 प्रतिदिन की बढ़ौतरी की जाये तो परिषद के अपने स्रोतों से प्राप्त आय में बढ़ौतरी हो सकती है ।

13 भवन आवेदन/मैप फ्रीस के रूप ₹0.01 लाख कम वसूली करना

जाँच में पाया गया कि श्री अशोक कुमार सपुत्र श्री बलवंत राँय, वार्ड न.- 3 काँगड़ा के वाणिज्य भवन हेतु नकशा क्षेत्र 263.07 स्क्वेयर मीटर अनुमोदित किया गया था जिसके लिए आवेदन फ्रीस ₹5 स्क्वेयर मीटर की दर से वसूल की जानी अपेक्षित थी जोकि ₹1315 बनती थी लेकिन जाँच-पड़ताल में पाया गया कि जी-8 स.-33/20 दिनांक 22.11.16 के अंतर्गत केवल ₹315 भवन आवेदन फ्रीस के रूप में वसूल किए गए थे। इस प्रकार ₹1000 कम वसूल किए गए थे। अंकेक्षण द्वारा आपति उठाने पर ₹1000 की प्रतिपूर्ति चूककर्ता से करके जी-8 स. 53/41 दिनांक 21.07.17 द्वारा वापिस परिषद निधि खाते में जमा करवा दी गई जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है ।

14 नए आवासीय/वाणिज्य घरों के निर्माण हेतु पारित किए गए नक्शों हेतु मक डम्पिंग चार्जिज (Muck Dumping Charges) वसूल न करने के परिणामस्वरूप लग-भग ₹1.50 लाख की हुई वित्तीय हानि

अभिलेख/रजिस्टर कि जाँच में पाया गया कि परिषद द्वारा दिनांक 31.03.17 तक वर्ष 2015-16 में कुल 34 न. व 2016-17 में कुल 64 न. आवासीय/वाणिज्य घरों के नक्शे पारित किए गए थे और इन नक्शों को पारित करने के एवज में सिर्फ नक्शा पास करने की फ्रीस ही वसूल की गई है जबकि उपर्युक्त पारित किए गए नक्शों हेतु मक डम्पिंग चार्जिज की वसूली भी की जानी अपेक्षित थी क्योंकि कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद काँगड़ा के पत्रांक स.-न.प.का./2013-387 दिनांक 14 मार्च, 2013 जोकि निदेशक, शहरी विकास, शिमला को प्रेषित था द्वारा मक डम्पिंग वाईलाज बनाने बारे सूचित किया गया था के अंतर्गत मक डम्पिंग चार्जिज की निम्न दरें निर्धारित की गई थीं:-

a)	Per cement bag	₹10 per bag
b)	Pick up	₹200 per pick up
c)	Tipper light duty/LMV	₹500 per tipper
d)	Tipper Heavy Duty	₹800 per tipper/truck

सामान्यतः यह देखा गया है कि औसतन 100 स्क्वेयर मीटर Plinth area की खुदवाई करने पर लग-भग 70 क्यूबिक मीटर मिट्टी निकलती है। यदि 50% मिट्टी Plinth area को भरने के

लिए प्रयोग हेतु उपयोग होती है तो लग-भग 35 क्यूबिक मीटर खोदी गई मिट्टी को फैकवाने हेतु मक डम्पिंग चार्जिज वसूल किए जाने चाहिए तथा औसतन 1 टिप्पर (LMV) में 6 क्यूबिक मीटर मिट्टी भरी जाती है तो 35 क्यूबिक मीटर मिट्टी को फैकवाने हेतु 6 टिप्पर (LMV) प्रयोग में लाए जाएंगे I इस प्रकार 100 स्क्वेयर मीटर Plinth area/Plot area के लिए लग-भग ₹3000/- (6 x 500) मक डम्पिंग चार्जिज वसूल किए जाने अपेक्षित हैं। यदि Plinth area का औसतन 50-60 स्क्वेयर मीटर हो तो लग-भग 17-18 क्यूबिक मीटर खुदवाई की गई मिट्टी के लिए मक डम्पिंग चार्जिज लगाये जाएंगे जोकि 6 क्यूबिक मीटर प्रति टिप्पर की दर से कुल 3 टिपरों (LMV) में भरी/उठवाई जाएँगी, जिसके लिए मक डम्पिंग चार्जिज ₹1500/- (3X 1500) चार्ज किए जाने चाहिए I

चयनित माह 10/15 व 11/16 की जाँच के दौरान आवासीय/वाणिज्य घरों के पारित किए गए नक्शों के कुछ उदहारण निम्न प्रकार से हैं:-

माह 10/15

S.No.	Name of house owner	Ground floor area(Square meter)	Plinth area(square meter)	Muck Dumping charges to recovered approx.(Rs.)
1	Sh.Sanjay kumar Wno.3	222.54	111.27	3000
2	Sh.Vijay kumar W.no.4	263.91	160.9	4500
3	Sh. Ramesh Gir W.no.6	168.99	168.99	5000
4	Sh.Sudhish Gupta W.no.7	606	202	5500
5	Smt.Rajesh kumari Wno.5	369.24	123.08	3500
	Total Rs.....			21500

माह 11/16

Sr. N o.	Name of house owner	Ground floor area(Square meter)	Plinth area(square meter)	Muck Dumping charges to recovered approx.(Rs.)
1	Sh. Parshotam Lal W.No.1	103	103	3000
2	Sh. Pritam Singh W.No.3	360.33	130.29	3500
3	Sh. Ashok kumar W.No. 3	263.07	263.07	7500
4	Sh. Khushi Ram W.No.5	85.34	85.34	2500
5	Sh. Ravinder Nath W.No.9	91.90	91.90	2500

उक्त विवरणानुसार चयनित माहों में लग-भग ₹40500 मक डम्पिंग चार्जिज वसूल नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त जाँच में यह भी पाया गया कि अवधि 2015-16 से 2016-17 तक लग-भग 100 न. नक्शे पारित किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप मक डम्पिंग चार्जिज वसूल न करने के कारण परिषद को लग-भग ₹150000 (1500 x 100) की वित्तीय हानि हुई, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व परिषद प्रशासन को यह परामर्श दिया जाता है कि नक्शा फ्रीस (Map fee) के साथ मकान मालिकों से मक डम्पिंग चार्जिज भी वसूल किए जाने सुनिश्चित किए जाएँ ताकि परिषद की वित्तीय स्थिति मजबूत हो सके।

15 स्थापना

(क) बजट प्रावधान से ₹58.73 लाख का अधिक व्यय

नगर परिषद में नियुक्त कर्मचारियों के लिए बजट प्रावधान का विवरण परिशिष्ट – अ पर दिया गया है। उपलब्ध करवाई गयी सूचना अनुसार वर्ष 2016-17 में कुछ एक प्रकरणों में स्थापना व्यय बजट प्रावधान से अधिक पाया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	शीर्ष	बजट में प्रावधान	व्यय कि गई राशि	अन्तर
2016-17	General	5197071	10086559	4889488
	Public Health	446292	485502	39210
	Conservancy	6899759	6404464	-495295
	M. Work	6319192	7759085	1439893
	कुल अधिक किया गया व्यय			5873296

अतः बजट प्रावधान से अधिक व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अधिक व्यय की गई राशि को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करवाकर नियमित किया जाए व भविष्य में बजट प्रावधानों के अनुसार ही व्यय किया जाए।

(ख) श्रीमति भोता देवी को परिवारिक पेंशन के रूप में ₹0.15 लाख का किया गया अधिक भुगतान

निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के पृष्ठांकन स.-UD-H(10)-980/09-18277-80 दिनांक 09.11.12 के क्रम स.-2 के अंतर्गत श्रीमति भोता देवी की परिवारिक पेंशन उनके पति की मृत्यु के सात वर्ष उपरान्त या 65/67 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जो भी पहले हो ₹3500 की दर से भुगतान की जानी अपेक्षित है। जाँच में पाया गया कि श्रीमति भोता देवी PPO NO.887/09-10 को अवधि 01.12.16 से 30.06.17 तक ₹3500 के स्थान पर ₹4415 प्रति माह की दर से परिवारिक पेंशन के रूप में ₹15050 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

अवधि	पेंशन जो देय थी	पेंशन जो भुगतान की गई	अधिक भुगतान (₹)

	मूल वेतन	महंगाई भता	अंतरिम राहत	कुल	मूल वेतन	महंगाई भता	अंतरिम राहत	कुल	(2150*7)
01.12.16 से 30.06.17	3500	4550	175	8225	4415	5739	221	10375	15050

अंकेक्षण द्वारा आपति उठाने पर परिषद कार्यकारी अधिकारी के पत्रांक स.-
न.प.का./2017-836 दिनांक 27.07.17 द्वारा श्रीमति भोता देवी पत्नी श्री लाल सिंह से पत्राचार
किया गया था । अतः ₹15050 की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए ।

(ग) बकाया राशि का अधिक भुगतान ₹0.06 लाख

वाउचर स. 82 दिनांक : 10.11.2015 ₹784647

उपरोक्त बिल/वाउचर कि जाँच पड़ताल पर पाया गया कि नगर परिषद कांगड़ा के
कर्मचारियों को ACPS (4:9:14) की बकाया दिनांक 9.8.2012 से देय राशि के भुगतान
की दूसरी व अंतिम किश्त के रूप में ₹6480 का अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न
प्रकार से है :-

क्रम स.	कर्मचारी का नाम	देय भुगतान	जितना भुगतान किया गया	जितना अधिक भुगतान किया (₹)
1	श्री रुस्तम कुमार, बेलदार	39880	40960	1080
2	श्री दलजीत सिंह, बेलदार	39880	40960	1080
3	श्री ओंकार सिंह, बेलदार	39880	40960	1080
4	श्री विनोद कुमार, बेलदार	39880	40960	1080
5	श्री मुनीश कुमार, बेलदार	39880	40960	1080
6	श्री वंसी लाल, बेलदार	39880	40960	1080
कुल योग				6480

यह अधिक भुगतान गणना में गलती के परिणामस्वरूप दिनांक 01.01.13 से 30.06.13
जो ACPS (4:9:14) का बकाया बनता था उसमें से किया गया है । इस अवधि में उपरोक्त
कर्मचारियों द्वारा जो राशि प्रति माह प्राप्त कि गयी थी वो ₹12978 बनती थी जबकि बकाया
राशि का भुगतान करते समय गणना में प्राप्त ₹12798 ली गई जिसके परिणामस्वरूप प्रति माह
₹180 का अधिक भुगतान किया गया जोकि 6 महीनों में कुल कुल अधिक भुगतान ₹1080 बनता
है । जब यह प्रकरण अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में लाया
गया तो उन्होंने कुल अधिक भुगतान की गई राशि ₹6480 की वसूली निम्नलिखित विवरणानुसार
कर ली गई है:-

क्रम स.	कर्मचारी का नाम	जी-8 स.	दिनांक	राशि जो वसूल की गई (₹)
1	श्री रुस्तम कुमार, बेलदार	7/43	05.08.17	1080
2	श्री दलजीत सिंह, बेलदार	8/43	05.08.17	1080
3	श्री ओंकार सिंह, बेलदार	9/43	05.08.17	1080
4	श्री विनोद कुमार, बेलदार	10/43	05.08.17	1080
5	श्री मुनीश कुमार, बेलदार	11/43	05.08.17	1080

6	श्री वंसी लाल, बेलदार	12/43	05.08.17	1080
			कुल योग	6480

16 Name of work R/o street in Doghi Hatia & R/o road Doghi Hatia to Bhero Temple ward no.-2 old Kangra.

Award amount ₹128520
Award letter No. MC/Works/-549 Dated 05.05.2015
Name of Contractor Sh. Vijay Kumar, Kangra
M.B.No. 17 page 49-50
Bill no. Ist & Final bill

वाउचर स. 52 से 56, दिनांक 06.11.2015 ₹ 80178

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम एवं अंतिम बिल की जांच पड़ताल के दौरान निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई :-

(क) टेण्डर आवेदन के समय DNIT में सीमेंट की दरें नहीं दर्शाई गई थीं जबकि ठेकेदार को 125 बैग जारी किये गए थे जोकि ₹257 प्रति बैग की दर से प्राप्त/खरीद किए गए थे। अतःसीमेंट जारी करने की दरों को DNIT में न दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ख) बिल की जांच पड़ताल के दौरान पाया कि माप पुस्तिका 17 के पृष्ठ 49-50 में टेंडर की मद “P/L CC 1:2:4” की कुल मात्रा 19.03 cubic meter थी जबकि इस मद की 19.09 cubic meter मात्रा दर्ज करके ठेकेदार को ₹252 (0.06x ₹4200/- cubic meter) का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया था। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर जी-8 स.42/64 दिनांक 31.07.17 के अंतर्गत किए गए अधिक भुगतान ₹252 की उचित स्रोत से वसूली करके परिषद के निधि खाते में जमा करवा दी गई, जिसकी पुष्टि अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है।

17 EESL Ltd. के साथ किए गए संविदा/अनुबंध की तिथि उपरान्त, स्ट्रीट लाइटों की खरीद हेतु किया गया ₹3.44 लाख का अनुचित भुगतान

(क) कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद काँगड़ा द्वारा दिनांक 03.06.16 को EESL Ltd. (Energy Efficient Street Lighting) कम्पनी के साथ अनुबंध किया गया था तथा शहरी विकास विभाग के पत्रांक स.-UD-H(B)(15)-2/9-1-6/32 दिनांक 07.07.15 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया था कि :

“UDD would like to initiate the EESL programme for the state of HP for replacement of existing conventional street light by Energy efficient LED street light. Wherein, EESL is to facilitate the supply, installation, commissioning, servicing and maintenance of LED Street Lights including their post installation maintenance and warranty replacement during the project period.”

जाँच के दौरान पाया गया कि परिषद द्वारा विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से दिनांक 03.06.16 के उपरान्त भी स्ट्रीट लाइटों इत्यादि से सम्बन्धित ₹344047 की सामग्री क्रय की गई थी (परिशिष्ट “ण”) जबकि उक्त तिथि उपरान्त स्ट्रीट लाइटों इत्यादि से सम्बन्धित समस्त क्रय सामग्री पर किया गया व्यय उक्त कम्पनी द्वारा उठाया जाना अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त ₹344047 स्ट्रीट लाइटों इत्यादि हेतु किया गया भुगतान एक अनुचित/अनियमित भुगतान है। अतः अविलम्ब वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

(ख) इसके अतिरिक्त अनुबंध आर्टिकल -I के नियम व शर्त -1.1.2 व 2.4.1 के अनुसार :

“ This agreement shall remain in force for 7 years from the date as mentioned, unless rescinded by either party, the agreement can be extended further by the mutual consent of both parties.”

“EESL shall undertake the implementation of Energy Efficient LED Street Lights in time span of 14 to 18 weeks from the effective date.”

इस प्रकरण में उक्त शर्त -2.4.1 के अनुसार स्पष्ट है कि उक्त कम्पनी द्वारा EE LED स्ट्रीट लाइट्स को दिनांक 03.06.16 (प्रभावी तिथि) से 14 से 18 सप्ताह के भीतर लागू किया जाना अपेक्षित था जोकि दिनांक 03.06.16 से 31.10.16 के भीतर लागू किया जाना अपेक्षित था। अतः स्पष्ट है कि माह 11/16 से 5/17 तक परिषद द्वारा कुल ₹168794/- स्ट्रीट लाइटों इत्यादि से सम्बन्धित खरीद हेतु व्यय किया गया था (परिशिष्ट “ण) जोकि एक अनुचित/अनियमित भुगतान है जिस बारे यथाशीघ्र स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹168794 की प्रतिपूर्ति उचित स्रोत से करके वापिस संबंधित खाते में जमा कारवाई जाए।

18 दिनांक 31.03.17 को ₹2.38 लाख बिजली कर के रूप में विद्युत् बोर्ड से वसूली हेतु शेष

आयुक्त व सचिव, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना स.एल.एस.जी.डी.-(1)-9/94 दिनांक 17.04.2002 के अंतर्गत नगर परिषद क्षेत्र में बिजली की कुल खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत बोर्ड द्वारा नगर परिषद को भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

जाँच के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.17 को ₹237669 बिजली कर 1 पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली बोर्ड –काँगड़ा से वसूली हेतु शेष थे, जिसमें से ₹134955 अवधि 31.03.13 से पूर्व बिजली कर के रूप में वसूली हेतु शेष थे जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान बिजली कर की देय राशि	कुल देय राशि	प्राप्त/समायोजित राशि	अन्तशेष (वसूली हेतु शेष राशि)
2013-14	134955	84574	219529	0	219529
2014-15	219529	84574	304103	0	304103
2015-16	304103	84574	388677	0	388677
2016-17	388677	103117	491794	254125	237669

सहायक अभियंता, उपमंडल-न.1 के पत्रांक स.-232457K-12016-17-587 दिनांक 17.09.16 के अंतर्गत अवधि 11/12 से 3/16 तक बिजली कर की ₹254125 बिजली बोर्ड द्वारा परिषद को क्रेडिट/बिजली बिलों में समायोजित कर दी गई थी। अतः अविलम्ब परिषद द्वारा शेष ₹237669 की वसूली बिजली बोर्ड कार्यालय से की जाए अन्यथा इस राशि का समायोजन परिषद द्वारा बिजली बोर्ड के आगामी बिलों में किया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 वाहन/कार पार्किंग को ठेके पर देने के फलस्वरूप पार्किंग फ्रीस के रूप में ₹1.38 लाख की वित्तीय हानि बारे

जाँच के दौरान पाया गया कि वाहन/कार पार्किंग को, दिनांक 26.03.15 (इकरारनामा) श्री आशीष दमीर सुपुत्र श्री प्रदीप कुमार वार्ड-7, जिला काँगड़ा को अवधि 04/15 से 3/16 तक के लिए ठेके पर दिया गया था ।

इकरारनामे की शर्त स.-7 के अंतर्गत निविदा ₹1575000 थी तथा निविदा स्वीकृत होने पर 1 या 2 दिन के भीतर एक चौथाई राशि जमा करवाई जानी थी व शेष राशि दूसरी, तीसरी व चौथी किश्त निविदा राशी के एक चौथाई की दर से जमा करवाई जानी अपेक्षित थी जोकि 10,जुलाई, 10 अक्तूबर व 10,जनवरी से पूर्व जमा करवाई जानी थी I

लेकिन उक्त ठेकेदार द्वारा चौथी किश्त का भुगतान दिनांक 10.01.16 से पूर्व नहीं किया गया था, जिसके संदर्भ में कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के पत्रांक स.-न.प.का./पार्किंग/2016-236 दिनांक 20.01.16 द्वारा पत्राचार किया गया लेकिन दिनांक 23.01.16 तक कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया व दिनांक 25.01.16 से ठेका अनुबंध समाप्त कर दिया गया तथा परिषद द्वारा दिनांक 26.01.16 से स्वयं पार्किंग फ्रीस की वसूली करनी शुरू कर दी । इस प्रकार परिषद को उक्त अवधि के लिए पार्किंग फ्रीस के रूप में ₹137795 की वित्तीय हानि हुई जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

विवरण	जी-8 स.	दिनांक	राशि	राशि
निविदा/ठेका राशि				1575000
घटाएं:- प्रतिभूति राशि जो जब्त की गई	477/42	24.03.15	100000	
घटाएं:- प्रथम किश्त	477/46	25.03.15	393750	
घटाएं:- दूसरी किश्त	490	09.07.15	393750	
घटाएं:- तीसरी किश्त	37/502	26.10.15	393750	
घटाएं:- विलम्ब फ्रीस		26.10.15	1600	
घटाएं:-दिनांक 27.01.16 से 31.03.16 तक			154355	
पार्किंग फ्रीस के रूप में वसूल राशि				
कुल प्राप्त राशि			1437205	
कुल जितनी वित्तीय हानि हुई			137795	
	कुल योग		1575000	1575000

अतः ठेका/निविदा रद्द होने के परिणामस्वरूप ₹137795 की हुई वित्तीय हानि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व वसूली हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए ।

20 GPF/CPF के रूप में प्राप्त राशियों को सावधि जमा योजना में निवेशित करने पर प्राप्त ब्याज को कुछ ही कर्मचारियों के GPF/CPF खातों में जमा करने बारे

परिशिष्ट “ट” के अनुसार दिनांक 07.04.05 को कुल 36 न. कर्मचारियों के GPF/CPF खाते नगर परिषद काँगड़ा में चालू थे और इन खातों में कुल ₹1675746 जमा थे, जिसमें से दिनांक 07.04.05 को एफ.डी.आर.स. KCCB-1486849/500541392 के अंतर्गत ₹1500000

सावधि जमा योजना व खाता स.KCCB-9423/89 में ₹205917 इकट्टी ही निवेशित की गई थी । परिशिष्ट “ठ” के अनुसार दिनांक 15.06.12 को परिषद द्वारा 25 न. कर्मचारियों के GPF/CPF खाते KCCB बैंक में अलग-2 खुलवा दिए गए तथा दिनांक 22.09.16 को वाउचर स.89 के अंतर्गत ₹3697781 उक्त परिशिष्ट में दर्शाए गए 25 न. कर्मचारियों के अलग-2 GPF/CPF खातों में जमा किए गए थे जिसमें से ₹3685665 एफ.डी.आर.KCCB-1486849/500541392 पूर्व-परिपक्वता से प्राप्त राशि व शेष ₹12116 नगर परिषद खाता स.KCCB-20033064682 से निकलवाई गई थी I यह राशि ₹3685665 परिषद के 36 न. कर्मचारियों की GPF/CPF की थी, जोकि सावधि जमा योजना में निवेशित वर्ष 2005 में मूल ₹1500000 थी जिसमें ब्याज के रूप में ₹2185665 वर्ष 2005 से 2016 तक अर्जित किए गए । नगर परिषद द्वारा अर्जित ब्याज की राशि को उन सभी 36 न. कर्मचारियों के खातों में समान दर से जमा करवाना चाहिए था जबकि उक्त ब्याज की अर्जित राशि को परिषद द्वारा 36 न. कर्मचारियों के खातों में जमा न करवाकर सिर्फ 25 न. कर्मचारियों में बाँटा गया है जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए ।

- 21 विभिन्न कर्मचारियों के GPF/CPF खातों में ₹5.98 लाख ब्याज के रूप में अधिक जमा करने बारे जाँच-पड़ताल में पाया गया कि 17 न. कर्मचारियों को साधारण ब्याज दर के स्थान पर सावधि जमा योजना की दर से ब्याज की राशि GPF/CPF खातों में जमा कर दी गई थी, जबकि अंकेक्षण अवधि के दौरान कार्यवाही रजिस्टर में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था कि GPF/CPF जमा राशियों पर किस दर से ब्याज दिया जाएगा I यदि शेष कर्मचारियों के GPF/CPF खातों में क्रेडिट किए गए साधारण ब्याज दर को आधार माना जाए तो 25 न. कर्मचारियों को ₹598098 ब्याज के रूप में GPF/CPF खातों में अधिक जमा की गई थीं, जिनका विवरण परिशिष्ट “ड” में दिया गया है। अतः उक्त कर्मचारियों के GPF/CPF खातों में अधिक राशियाँ जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा ₹598098 की प्रतिपूर्ति चूककर्ता से करके वापिस निधि खाते में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।
- 22 श्री सुरेन्द्र शर्मा, कनिष्ठ सहायक के सामान्य भविष्य निधि खाते में ₹0.42 लाख के अधिक जमा करवाने बारे जाँच में पाया गया कि अवधि 2005-06 से 2016-17 तक श्री सुरेन्द्र शर्मा, कनिष्ठ सहायक के GPF खाता स.4 में GPF के रूप में ₹42466 अधिक जमा किए गए थे जिसका विवरण निम्न प्रकार से है तथा विस्तारपूर्वक विवरण परिशिष्ट “ढ” पर दिया गया है:-

अवधि	एँफ़.डी.आर. में निवेशित GPF की राशि	खाता स.20033064682 में जमा GPF की राशि	कुल जमा GPF की राशि	जितनी राशि जमा / भुगतान की गई	वाउचर स. व दिनांक	जितनी राशि जमा / अधिक भुगतान की
07.04.05 से 05/16 तक	189566	228896	418462	460928	89/22.09.16	42466

उपर्युक्त विवरण अनुसार श्री सुरेन्द्र शर्मा, कनिष्ठ सहायक को GPF के रूप में ₹42466 अधिक जमा किए गए थे, जिसकी वसूली चूककर्ता से करके वापिस निधि खाते में जमा करवाकर

अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। चूँकि श्री सुरेन्द्र शर्मा वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनका GPF का अंतिम भुगतान अभी नहीं किया गया है। अतः अंतिम भुगतान उपरोक्त वर्णित राशि को कम करके किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

23 समाचार पत्र में विज्ञापन देने पर ₹448 का अधिक भुगतान

वाउचर सं०-74 दिनांक 09.11.205 के अन्तर्गत ₹2956 का भुगतान मै. अमर उजाला पब्लिकेशन लि. को चैक सं०-513905 द्वारा उनके बिल सं०-डी.डी.हिम-151000047 दिनांक 09.10.15 के अंतर्गत विज्ञापन इत्यादि के लिए किया गया। समाचार-पत्र में विज्ञापन कुल 120 square c.m. के लिए ₹24.64 की दर चार्ज की गई थी। जाँच-पड़ताल पर पाया गया कि D.A.V.P द्वारा इस समाचार-पत्र की दर ₹20.90 निर्धारित की थी। इस प्रकार ₹448 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः इस राशि की वसूली उचित स्रोत से करके वापिस सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई जाए।

24 अग्रिम ₹0.25 लाख समायोजन हेतु शेष

अग्रिम रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.03.17 को ₹25000 निम्न विवरणानुसार विभिन्न कर्मचारियों के नाम समायोजन हेतु शेष पड़ी थी, यह राशियाँ वर्ष 2004 से लंबित पड़ी हुई हैं। लग-भग 12-13 वर्षों तक अग्रिम राशियों का समायोजन न करना एक गंभीर अनियमितता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अग्रिम राशि की वसूली हेतु अविलम्ब ठोस कार्यवाही अम्ल में लाई जाए विवरण निम्न प्रकार से है :-

Sno.	Name & Designation	Advance (₹)	Date	Purpose
1	Sh. Ravinder kumar, Clerk	15000	18.12.2010	MC Election
2	Sh. Kamal Kant, Junior Engineer	5000	20.10.2004	C/o Work
3	Sh. Kamal Kant, Junior Engineer	5000	02.05.2005	Foundation stone for Rehan Basera
Total Rs.		25000		

25 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जाना

अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद के विभिन्न भण्डार रजिस्ट्रों में दर्ज सामान का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं करवाया जा रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्त नियम की धारा 15.17 के अनुसार भण्डार में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। अतः नियमों की अनुपालना से भण्डार का भौतिक सत्यापन न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब भण्डार का भौतिक सत्यापन करके भविष्य में वार्षिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए, की गई कार्यवाही से इस विभाग/ कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

26 लघु आपति विवरणी :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

27 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाब में सुधार की आवश्यकता है तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में ललम्बित पैरों को निपटाने हेतु यथाशीघ्र उचित कार्यवाही अम्ल में लाई जानी चाहिए।

(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्या:- V(5) फिन(एल0ए0डी0) खण्ड-5 दिनांक शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत 1 कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद काँगड़ा, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों के सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 2 निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002 की पैरा संख्या 1 (ख) पर वर्णित गम्भीर अनियतताओं पर सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620881

परिशिष्ट "क"
नगर परिषद कांगड़ा जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/80 से 3/82			
1	पैरा-16 (ए)	श्री विशम्बर दास, हैड कर्लक को वेतन का अधिक भुगतान किया गया है, की वसूली हेतु।	अनिर्णीत
2	पैरा-16 (बी)	-यथोपरि-	अनिर्णीत
अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/88 से 3/90			
1	पैरा-15 (छ)	श्री जे0एन0 नाग ठेकेदार को अधिक दर पर भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत
2	पैरा-15 (ब)	भण्डार रजिस्टर में सामान की खपत व शेष सामान की तुलना न हो पाना	अनिर्णीत
3	पैरा-17 (ज)	अग्रिम राशि को वसूलने व एडजस्टमेंट करने बारे।	अनिर्णीत
अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/92			
1	पैरा-22 (च)	बिजली के बिल व रसीदें, वाऊचर के साथ संलग्न न होना।	अनिर्णीत
2	पैरा-30	विद्युत विभाग को स्ट्रीट लाईट प्वाईट लगाने हेतु धन राशि दी गई थी, उसके वास्तविक व्यय की जानकारी उपलब्ध न करवाने बारे।	अनिर्णीत
3	पैरा-37	भवन निर्माण कार्य हेतु ईन्ट, सरिया क्रय किया गया की खपत व माप पुस्तिका में ईन्द्राज व कार्य पंजिका दर्शाने बारे।	अनिर्णीत
अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/96			
1	पैरा-5 (1)	अनुदान राशि का अधिक व्यय किये जाने बारे।	अनिर्णीत
2	पैरा-6 (4)	गृहकर की वसूली नियमित रूप से न किये जाने बारे।	अनिर्णीत
3	पैरा-7 (2)	किराये की वसूली arrear of land revenue act के अन्तर्गत वसूल करने बारे।	अनिर्णीत
4	पैरा-7 (3)	किरायेदारों से किराया वसूल करने बारे।	अनिर्णीत
अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/96 से 3/2007			
1	पैरा-2 (ग)	लेखा परीक्षाधीन अवधि के दौरान सावधि जमा राशियों की अवधि पूर्ण होने पर बैंकों द्वारा ब्याज राशि कम दिये जाने पर नगर परिषद को ₹46180 की हानि बारे।	अनिर्णीत
2	पैरा-3 (क) (1 से 5)	लेखा परीक्षाधीन अवधि के दौरान प्राप्त सरकारी अनुदान को सरकार की शर्तों अनुसार खर्च न करने बारे।	निर्णीत (पैरा अपडेटेड अनुदान)

3	पैरा-3 (ख) (1 से 5)	पूर्व वर्ती अवधि के दौरान प्राप्त सरकारी अनुदान	निर्णीत (पैरा अपडेटेड अनुदान)
4	पैरा-3 (घ)	गृह नाम पट्टिका के विरुद्ध ₹21750 की शेष देय राशि वसूल करने बारे।	अनिर्णीत
5	पैरा-4 (3)	गृहकर की गत शेष की ₹660 की कम मांग व वसूली बारे।	निर्णीत (बकाया मांग को वर्तमान मांग में शामिल कर दिया गया है)
6	पैरा-4 (3) (क)	गृहकर की वर्षवार वसूली में विशेष प्राप्ति न होना।	निर्णीत (पैरा अपडेटेड गृहकर)
7	पैरा-4 (3) (ख)	गृहकर प्राप्ति में दी गई अनियमित छूट ₹268181 की वसूली बारे।	अनिर्णीत
8	पैरा-4 (3) (ग)	गृहकर की दर 7.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत न बढ़ाने पर सरकार के आदेशों का उल्लंघना करके ₹2805843 की हानि	अनिर्णीत
9	पैरा-4 (4)	नगर परिषद के भवनों/दुकानों स्टालों तथा अन्य परिसरों के किराये के सम्बन्ध में।	निर्णीत (पैरा अपडेटेड बकाया किराये में)
10	पैरा-4 (4) (ड)	निलामी की शर्तों के अनुसार किराये की राशि में बढ़ौतरी न करने के फलस्वरूप ₹213606 नगर परिषद को हानी।	अनिर्णीत
11	पैरा-4 (4) (ज)	प्रेस क्लब को मात्र ₹1 किराये पर प्रति मास नगर परिषद द्वारा अपनी सम्पत्ति आंबटित करने में अनियमितता।	अनिर्णीत
12	पैरा-4 (4) (ट)	मै0 कावासाकी एडवर्टाईजमेंट शिमला से विज्ञापन शुल्क के रूप में ₹13072 की वसूली न करना।	अनिर्णीत
13	पैरा-4 (4) (ठ)	श्री कमलेश सगोत्रा, धर्मशाला से विज्ञापन शुल्क के रूप में ₹18750 की वसूली न करना।	अनिर्णीत
14	पैरा-4 (6)	श्रीमती कमलेश कुमारी से 2 प्रतिशत स्टैप ड्यूटी में ₹5676 की कम वसूली करना।	अनिर्णीत
15	पैरा-4 (7)	स्टैप ड्यूटी में ₹112079 की कम वसूली करने बारे।	अनिर्णीत
16	पैरा-4 (9)	अवैध भवनों को कम्पाऊंड व शुल्क जमा करवाने बारे।	अनिर्णीत
17	पैरा-4 (11) (क)	रोड कटिंग चार्जिज में ₹11485 वसूल न करने बारे।	अनिर्णीत
18	पैरा-4 (11) (ख)	रोड कटिंग चार्जिज में ₹84117 वसूल न करने	अनिर्णीत

		बारे।	
19	पैरा-4 (12) (क)	टोल टैक्स में ₹26000 बकाया के रूप में वसूल न करने बारे।	अनिर्णीत
20	पैरा-4 (12) (ख)	टोल टैक्स में ₹2559 विलम्ब ब्याज के रूप में वसूल न करने बारे।	अनिर्णीत
21	पैरा-4 (12) (ग)	टोल टैक्स में ₹447551 विलम्ब ब्याज के रूप में वसूल न करने बारे।	अनिर्णीत
22	पैरा-4 (14)	लिव्चर कर व विद्युत उपयोग कर के सम्बन्ध में विस्तारित जानकारी का न होना।	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर रिकार्ड सत्यापित किया)
23	पैरा-4 (15)	लाईसैन्सों की मात्रा में गत वर्ष की तुलना में कमी आना।	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पैश्रा अपडेटेड)
24	पैरा-5 (1)	अस्वीकृत पदों के विरुद्ध दैनिक भोगियों की नियुक्ति व बजट प्रावधान से अधिक व्यय।	अनिर्णीत
25	पैरा-5 (4)	श्री दर्शन लाल गुप्ता, कार्यकारी अधिकारी सेवा निवृत्त से ₹36320 छुट्टी की राशि भुनाने पर अधिक भुगतान व वसूली न करने में अनियमिता।	अनिर्णीत
26	पैरा-5 (5)	श्री दर्शन लाल गुप्ता, कार्यकारी आहरण सेवा निवृत्त द्वारा अधिक वेतन आहरण के कारण ₹23717की मूल वेतन व अन्य वेतन भत्ते के रूप में अधिक भुगतान की वसूली के बारे में।	अनिर्णीत
27	पैरा-5 (6)	अंशकालीन कर्मों को देय अवकाश की अनियमित अदायगी ₹838 की वसूली बारे।	अनिर्णीत
28	पैरा-5 (9)	बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के सफाई कार्य हेतु मजदूरों का रखा जाना।	अनिर्णीत
29	पैरा-5 (10)	दिहाड़ी पर नियुक्त किये गये कर्मचारियों के स्वीकृति के सन्दर्भ में।	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
30	पैरा-5 (11)	दिहाड़ी पर नियुक्त किये गये कनिष्ठ अभियन्ता की स्वीकृति के सन्दर्भ में।	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
31	पैरा-5 (16)	श्री रत्न चन्द सेनेटरी बेलदार को ₹721 का अनियमित भुगतान	अनिर्णीत
32	पैरा-6 (1)	व्यय को हाऊस से मद वार अनुमोदन करवाने की अपेक्षा इक्वटा ही अनुमोदन करवाना।	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
33	पैरा-6 (4)	वाऊचर संख्या 31 दिनांक 9.4.96 राशि ₹14798की अदायगी बिना स्वीकृति प्राप्त किये	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)

		करना।	
34	पैरा-6 (5)	विभिन्न भुगतानों में पाई गई अनियमितता के सन्दर्भ में।	अनिर्णीत
35	पैरा-6 (6)	बिजली के बिलों में बकाया अनियमित भुगतान ₹14430 बारे।	अनिर्णीत
36	पैरा-6 (7)	वास्तविक प्राप्ति रसीदें प्राप्त न करना।	अनिर्णीत
37	पैरा-6 (8)	अध्यक्ष के दूरभाष पर व्यय का अनियमित भुगतान।	अनिर्णीत
38	पैरा-6 (9)	नगर परिषद निधि पर व्ययों का उचित प्रभार न होने के सन्दर्भ में।	अनिर्णीत
39	पैरा-6 (11)	₹647 आय कर व बिक्री कर जमा न करवाने बारे।	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
40	पैरा-6 (12)	बिना निविदायें आमंत्रित तथा आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण किये सामान क्रय करने बारे।	अनिर्णीत
41	पैरा-6 (13)	कम्प्यूटर खरीद करने पर अनियमितता बारे।	अनिर्णीत
42	पैरा-6 (14)	कार्यालय के टेलीफोन संख्या 265035 में EPABxSYSTEM लगवाने में अनियमितता बारे।	अनिर्णीत
43	पैरा-6 (15)	सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट रिपैट बनाने हेतु सरकार की स्वीकृति प्राप्त न करना।	अनिर्णीत
44	पैरा-6 (16)	हाऊसिंग बोर्ड से कार्यकारी अधिकारी निवास हेतु मकान की खरीद करना।	अनिर्णीत
45	पैरा-6 (17)	रा0व0मा0पा0 के कमरों का निर्माण परिषद द्वारा न करवाकर जिलाधीश के आदेशों के विपरीत प्रधानाचार्य से करवाना।	अनिर्णीत
46	पैरा-6 (18)	जयसिद्ध बाबा बालक नाथ मन्दिर में सराय का निर्माण परिषद द्वारा न करवा कर जिलाधीश के आदेशों के विपरीत प्रधान जयसिद्ध बाबा बालक नाथ से करवाना।	अनिर्णीत
47	पैरा-6 (19)	जिला प्रैस क्लब कांगड़ा को ₹325000 का अनियमित भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत
48	पैरा-6 (20)	₹1640 आयकर व बिक्री कर जमा न करवाने बारे।	अनिर्णीत
49	पैरा-6 (21)	विरभद्र व शिवाला महादेव में सेप्टिक टैंक व टायलैट का निर्माण कार्य नगर परिषद द्वारा न करके ट्रस्ट द्वारा करवाया गया अपितु उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर परिषद द्वारा भेजा गया, के प्रति।	अनिर्णीत
50	पैरा-6 (22)	भूमिक्रय करने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार से	अनिर्णीत

		स्वीकृति प्राप्त न करने में अनियमितता।	
51	पैरा-6 (23)	बिना प्रस्ताव पारित किये श्री महेश दत्त शर्मा, कार्यकारी अधिकारी को कांगड़ा से पालमपुर जाने के लिए डीजल चार्जिज का भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत
52	पैरा-6 (24)	सेवा निवृत्ति कर्मचारियों को दिए गए सामान को वापिस मूल्य की वसूली न किए जाने बारे।	अनिर्णीत
53	पैरा-7 (1)	श्री बतन कुमार ठेकेदार द्वारा डुंगा बाजार टायलट निर्माण किया गया, जिसका इन्द्राज माप पुस्तिका में प्रविष्टियाँ तकनीकी अधिकारी द्वारा चैक न करवाने बारे।	अनिर्णीत
54	पैरा-7 (2)	सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में खुदाई व कटान हेतु गलत गणना के कारण ₹20610 का अधिक भुगतान की वसूली बारे।	अनिर्णीत
55	पैरा-7 (3)	₹3523 आयकर व बिक्री कर जमा न करवाने बारे।	अनिर्णीत
56	पैरा-7 (4)	₹5412 आयकर व बिक्री कर जमा न करवाने बारे।	अनिर्णीत
57	पैरा-7 (5)	बाल्मिकी मोहल्ला में सामुदायिक हाल के निर्माण कार्य हेतु प्राकलन तैयार न करना व गलियों के निर्माण में शडयूल रेट में विविधता का होने बारे।	अनिर्णीत
58	पैरा-7 (6)	एक ही समय में चार ठेकेदारों को अलग-2 शडयूल रेटों पर कार्य आंबटित करने बारे।	अनिर्णीत
59	पैरा-7 (7)	वाऊचर संख्या 39 दिनांक 20.4.99 में गलत गणना के कारण ₹13899 का अधिक भुगतान	अनिर्णीत
60	पैरा-7 (8)	गलत शडयूल रेट लगाने के कारण ₹3888 एवं ₹3095 का अधिक भुगतान।	अनिर्णीत
61	पैरा-7 (9)	श्री पंकज परवाण ठेकेदार द्वारा नाली निर्माण के प्राकलन में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न करना व शडयूल रेट गलत निर्धारित करने बारे।	अनिर्णीत
62	पैरा-7 (10)	श्री पंकज परवाण को नाली के निर्माण करने हेतु ₹825 एवं ₹518 का अधिक भुगतान	अनिर्णीत
63	पैरा-7 (11)	गुप्त गंगा के पास रिटेनिंग वाल के निर्माण कार्य के लिए ₹13531 का अधिक भुगतान बारे।	अनिर्णीत
64	पैरा-7 (12)	न्यायिक परिसर में शैड निर्माण के लिए सार्वजनिक निविदा के स्थान पर लेबर रेट पर कुटेशन आमन्त्रित करने बारे।	अनिर्णीत
65	पैरा-7 (13) (1)	₹5500000 को खर्च का अभिलेख न बनाने बारे।	अनिर्णीत

66	पैरा-7 (13) (2)	विकास कार्य में रिटैनिंग वाल व भूमि कटान हेतु बनाये गए प्राकलन में कटिंग कार्य में कोई काम के पत्थर न होने से ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने बारे।	अनिर्णीत
67	पैरा-7 (13) (3)	शडयूल रेट से अधिक दर से ठेकेदार को अधिक लाभ पहुंचाने बारे।	अनिर्णीत
68	पैरा-7 (13) (4)	भूमि कटान के कार्य में ठेकेदार को ₹8397 के अधिक भुगतान बारे।	अनिर्णीत
69	पैरा-7 (13) (5)	सीमेन्ट जो जारी किया गया था उसमें शेष बची बोरियों की वापिसी सुनिश्चित न करने के कारण ₹7120 की हानि।	अनिर्णीत
70	पैरा-7 (13) (6)	2 प्रतिशत विक्रय कर के रूप में कम वसूली ₹2599 की हानि बारे।	अनिर्णीत
71	पैरा-7 (13) (7)	2.2 प्रतिशत आय की ₹3936 की कम वसूली।	अनिर्णीत
72	पैरा-7 (13) (8)	निर्धारित सीमेन्ट की खपत से कम खपत करने बारे।	अनिर्णीत
73	पैरा-7 (14)	न0प0 निर्माण कार्यों को मस्टरोलो पर कार्य निष्पादन करने पर कम मूल्य आंकलन करने से ₹96261 की होनी।	अनिर्णीत
74	पैरा-7 (14) (1)	आयकर के रूप में ₹11412 की कम कटौती करने बारे।	अनिर्णीत
75	पैरा-7 (15)	मस्टरोलों पर किये गए निर्माण कार्यों की प्रगति प्रोग्रेस न निकालने बारे।	अनिर्णीत
76	पैरा-7 (16)	NRV के अन्तर्गत फर्नीचर व अन्य सामान की खरीद करने के कारण ₹94301 का गलत उपयोग करने बारे।	अनिर्णीत
77	पैरा-7 (17)	पौलिटैक्निक परिसर के पास नाली के निर्माण कार्य में ठेकेदार को ₹2686 के अधिक भुगतान बारे।	अनिर्णीत
78	पैरा-7 (18)	सोलिड वेस्ट मेनेजमेंट परियोजना के अन्तर्गत 22 नं0 वैटरी के निर्माण कार्य में अनियमितता बारे।	अनिर्णीत
79	पैरा-7 (18) (1)	ठेकेदार से पंजीकरण सम्बन्धित कागजात प्राप्त न करके निदेशालय के आदेशों की अवहेलना करने बारे।	अनिर्णीत
80	पैरा-7 (18) (2)	निर्माण कार्य के निष्पादन में गलत दर स्वीकृत करने पर ₹11188.00 का अधिक भुगतान बारे।	अनिर्णीत
81	पैरा-7 (18) (3)	स्टील की मद के निष्पादन में गलत गणना के कारण ₹18821.00 के अधिक भुगतान बारे।	अनिर्णीत

82	पैरा-7 (18) (4)	स्टील की मद के निष्पादन में अधिक व गलत दर लगाने के फलस्वरूप ₹22586.64 के अधिक भुगतान बारे।	अनिर्णीत
83	पैरा-7 (18) (5)	स्टील व सीमेन्ट की उपयोगिता में विविधता।	अनिर्णीत
84	पैरा-7 (19) (1 से 5)	SWMP के प्लेटफार्म के निर्माण कार्य के निष्पादन में अनियमितता।	अनिर्णीत
85	पैरा-7 (20) 1 से 3	माता श्री ब्रजेश्वरी देवी मन्दिर को लिंक मार्ग चर्च तक के निर्माण कार्य के निष्पादन में अनियमितता।	अनिर्णीत
86	पैरा-7 (21)	मिशन मार्ग कांगड़ा में लेवलिंग कार्य के लिये जे0सी0वी0 मशीन के बिल के रूप में ठेकेदार को ₹4763 का अधिक भुगतान बारे।	अनिर्णीत
87	पैरा-7 (22) (1)	टैण्डर कार्य में प्रीमियम दर से अधिक दरें निर्धारित करके ₹59172 का अधिक भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत
88	पैरा-7 (22) (2)	Substitute मद का अधिक दर पर भुगतान करने से ₹14062 का अधिक भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत
89	पैरा-7 (22) (3)	अतिरिक्त मद का बाजार दर से अधिक दर पर भुगतान के परिणामस्वरूप ₹200 का अधिक भुगतान बारे।	अनिर्णीत
90	पैरा-7 (22) (4)	अतिरिक्त मद हेतु ₹8988 का अधिक भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत
91	पैरा-7 (22) (5)	Negotiated मदों की दरों को विकृत करके बढ़ाने बारे।	अनिर्णीत
92	पैरा-7 (22) (6)	विलम्ब कार्य करने हेतु दण्ड वसूल न करने बारे।	अनिर्णीत
93	पैरा-7 (22) (7)	बिना अनुबन्ध के निर्माण कार्य का आंबटन करने बारे।	अनिर्णीत
94	पैरा-7 (22) (8)	सीमेन्ट स्टील की आपूर्ति विभागीय तौर पर न करने बारे।	
95	पैरा-7 (22) (9)	बिना तकनीकी स्वीकृति व प्राकलन से निर्माण कार्य के निष्पादन बारे।	अनिर्णीत
96	पैरा-7 (22) (10)	टैण्डर दरों में जस्टीफिकेशन तैयार न करने बारे।	अनिर्णीत
97	पैरा-7 (23) (1 से 4)	बिना टैण्डर कुटेशन कार्य करना, वर्क रजिस्टर तैयार न करना व ₹570 का अधिक भुगतान।	अनिर्णीत
98	पैरा-7 (24)	वार्ड नं0 05 में अग्रवाल के घर के रास्ते के निर्माण कार्य में अनियमितता।	अनिर्णीत
99	पैरा-7 (24) (1)	निर्माण कार्य में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न करने	अनिर्णीत

		बारे।	
100	पैरा-7 (24) (2)	ठेकेदार को प्रोवाडिंग एण्ड लेईंग सीमेन्ट कन्करीट की मद में ₹1324 का अधिक भुगतान	अनिर्णीत
101	पैरा-7 (25)	रैहन बसेरा भवन के निष्पादन कार्य में अनियमितता।	अनिर्णीत
102	पैरा-7 (25) (1)	रैहन बसेरा के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सरकार से प्राप्त न करने बारे।	अनिर्णीत
103	पैरा-7 (25) (2)	निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए अधिक दरें स्वीकृत करने में	अनिर्णीत
104	पैरा-7 (25) (3)	सीमेन्ट व स्टील के उपयोग हेतु अभिलेख तैयार न करने बारे।	अनिर्णीत
105	पैरा-7 (26)	टैण्डर बिक्री आय की वसूली में अनियमितता।	अनिर्णीत
106	पैरा-7 (27)	ठेकेदारों से आयकर बिक्री कर के रूप में ₹10368 की कटौती न करने बारे।	अनिर्णीत
107	पैरा-7 (28)	निर्माण कार्य सामग्री का क्रय व रख रखाव में अनियमितता।	अनिर्णीत
108	पैरा-7 (28) (क)	सामुदायिक शौचालय के लिए सैनेटरी फिटिंग की खरीद पर राशि ₹516 के भुगतान में अनियमितता।	अनिर्णीत
109	पैरा-7 (28) (ख)	लोहे की ग्रिल की आपूर्ति हेतु ₹629 का अधिक भुगतान।	अनिर्णीत
110	पैरा-7 (28) (ग)	डुप्लीकेट बिलो पर सत्यापित किए बिना भुगतान करने बारे।	अनिर्णीत
111	पैरा-7 (28) (घ)	खुले बाजार से सीमेन्ट की खरीद में अनियमितता।	अनिर्णीत
112	पैरा-7 (28) (ङ)	ईंटों की खरीद की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर/एम0एस0 में न दिखाना।	अनिर्णीत
113	पैरा-7 (28) (च)	रेता, बजरी व पत्थर की खरीद की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर एवं एम0एस0 में न दिखाना।	अनिर्णीत
114	पैरा-7 (28) (छ)	टायलों की खरीद पर ₹21600A का संदिग्ध भुगतान।	अनिर्णीत
115	पैरा-7 (28) (ज)	लोहे के गेट के निर्माण में अनियमितता।	अनिर्णीत
116	पैरा-7 (28) (झ)	राशि ₹62458 के मूल्य की निर्माण कार्य सामग्री की एम0एस0 में प्रविष्टि न दिखाना और न ही उपयोग दिखाना।	अनिर्णीत
117	पैरा-7 (28) (ञ)	निर्माण कार्य सामग्री आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों से ₹1893 की आयकर की कटौती न करना।	अनिर्णीत
118	पैरा-7 (28) (ट)	ठेकेदारों से सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु कम कटौती करने पर ₹3163 की वसूली के सम्बन्ध में।	अनिर्णीत

119	पैरा-7 (28) (ठ)	सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर में 9 बोरी की कमी के सम्बन्ध में।	अनिर्णीत
120	पैरा-7 (29)	नगर परिषद के स्टॉक व सम्पत्तियों के सत्यापन के सम्बन्ध में।	अनिर्णीत
121	पैरा-7 (30)	स्वर्ण जयन्ती शहरी स्वरोजगार योजना के कार्यान्वयन में ₹1662197.50 का दुरुपयोग व गम्भीर अनियमितताए।	अनिर्णीत
122	पैरा-7 (31)	शुष्क शैचालयों को पानी के बहाव में परिवर्तन करने पर दिये गए अनुदान राशि ₹1392900 के आंबटन में अनियमितता।	अनिर्णीत
123	पैरा-7 (31) (क)	बिना लाभार्थियों को भुगतान करने पर अनियमितता।	अनिर्णीत
124	पैरा-7 (31) (ख)	कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट में संदिग्धता।	अनिर्णीत
125	पैरा-7 (31) (ग)	अनुदान राशि के भुगतान हेतु बीअरर चैक जारी करने के सम्बन्ध में।	अनिर्णीत
126	पैरा-7 (31) (घ)	वास्तविक पावती मौजूद न होने के सन्दर्भ में।	अनिर्णीत
127	पैरा-7 (31) (ङ)	स्वीकृति के अनुसार सम्बन्धित लाभार्थियों की अनुदान के भुगतान न करने में अनियमितता।	अनिर्णीत
128	पैरा-7 (31) (च)	अनुदान उपयोग प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितता।	अनिर्णीत
129	पैरा-8 (1)	महिन्द्रा पिकअप वैन की खरीद में अनियमितता।	अनिर्णीत
130	पैरा-8 (2)	सरकार की स्वीकृति के बिना थ्री-व्हीलर की खरीद बारे।	अनिर्णीत
131	पैरा-8 (3)	वाहनों की लॉग बुक के रख रखाव के सम्बन्ध में।	अनिर्णीत
132	पैरा-8 (4)	थ्री व्हीलर एच0पी0 40-4433 की नीलामी बारे।	अनिर्णीत
133	पैरा-8 (5)	ट्रैक्टर एस0आई0के0 5306 की नीलामी के बारे।	अनिर्णीत
134	पैरा-8 (6)	पुराने वाटर टैंक की नीलामी के सम्बन्ध में	अनिर्णीत
135	पैरा-8 (7)	वाहन एच0पी0 40-5035 की मुरम्मत में अनियमितता	अनिर्णीत
136	पैरा-8 (7) (i)	-यथोपरि-	अनिर्णीत
137	पैरा-8 (8)	वाहन क्रमांक एच0पी0 68-0165 गाड़ी के कम उपयोग बारे।	अनिर्णीत
138	पैरा-8 (9)	गाड़ियों द्वारा सीमा से बाहर जाने पर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त न करना।	अनिर्णीत

139	पैरा-10 (2)	हि0प्र0 नगरपालिका कर्मचारी पेंशन उपदान तथा भविष्य निधि का रख रखाव बारे।	अनिर्णीत
140	पैरा-10 (3)	पेंशन निधि व अनुदान निधि में कम जमा करवाने बारे।	अनिर्णीत
अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2011			
1	पैरा-3	वित्तीय स्थिति बारे।	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
2	पैरा-4.1	सावधि जमा राशियों पर बैंकों द्वारा राशि ₹0.05 लाख का कम ब्याज दिए जाने बारे।	अनिर्णीत
3	पैरा-5.1	अवधि 3/07 से पूर्व मे प्राप्त अनुदान राशि ₹16.08 लाख व्यय हेतु शेष	निर्णीत (पैरा अपडेटिड)
4	पैरा-5.1	वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान राशियों बारे।	निर्णीत (पैरा अपडेटिड)
5	पैरा-5.2.1	अनुदान राशियों 198.26 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी न करना।	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
6	पैरा-5.2.2	शेष राशि ₹6.22 लाख को सम्बन्धित विभागों को वापिस न लौटाने बारे।	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
7	पैरा-5.2.3	अनुदान राशियों में 33.02 लाख का उपयोग न करने बारे।	निर्णीत (पैरा अपडेटिड)
8	पैरा-6.1	अपने स्रोतों से प्राप्त आय बारे।	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
9	पैरा-6.4	गृहकर की बकाया राशि पर 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज न लगाने से 3.17 लाख की हानि।	अनिर्णीत
10	पैरा-6.5	निर्धारित दरो पर गृहकर की मांग न करने के कारण राशि 3.55 लाख की वित्तीय हानि।	अनिर्णीत
11	पैरा-6.7	टरेड टैक्स की वसूली न करने के कारण राशि ₹1.18 लाख की हानि बारे।	अनिर्णीत
12	पैरा-6.8	तहबाजारी की राशि 0.19 लाख की कम प्राप्ति।	अनिर्णीत (पूर्व में अनुभाग अधिकारी द्वारा निर्णीत)
13	पैरा-6.9	सैनिटेशन डोनेशन के रूप में राशि .22 लाख की	अनिर्णीत

		कम प्राप्ति	
14	पैरा-7	बजट प्रावधान से राशि 38.01 लाख का अधिक व्यय करने बारे।	अनिर्णीत
15	पैरा-7.3	श्री तिलक राज बेलदार को चालक के पद पर पदोन्नत करने के कारण ₹0.65 लाख की वित्तीय हानि बारे।	अनिर्णीत
16	पैरा-7.4	गलत वेतन निर्धारण बारे।	आंशिक निर्णीत (₹11280 की वसूली की गई)
17	पैरा-7.5	स्थापना पर निर्धारित माप दण्डों से अधिक व्यय करने के कारण ₹78.71 लाख का अनियमित व्यय।	अनिर्णीत
18	पैरा-7.6	बिना पदों की स्वीकृति के दैनिक वेतन भोगियों को नियुक्त करना।	अनिर्णीत
19	पैरा-8	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना सफाई कार्य हेतु मजदूरों को रखने से राशि ₹0.39 लाख का अनियमित भुगतान बारे।	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
20	पैरा-8.1	पटवारी हल्का कांगड़ा को मानदेय के रूप में राशि ₹0.12 लाख का अनियमित भुगतान।	अनिर्णीत
21	पैरा-8.2	मोबाईल चार्जिज के रूप में ₹5600 के अनियमित भुगतान बारे।	अनिर्णीत
22	पैरा-8.3	बिना जी0आर0 के ₹735 के भुगतान बारे।	अनिर्णीत
23	पैरा-8.6	निर्धारित तिथि के उपरान्त समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन पर ₹5677 का अनियमित अनुपयोगी भुगतान।	अंशतः निर्णीत
24	पैरा-9	विभागीय मजदूरों को बिना कार्य करवाये ₹19.64 लाख का अनुचित भुगतान।	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
25	पैरा-9.1	स्टॉक से सीमेन्ट को जारी करने बारे।	अनिर्णीत
26	पैरा-9.2	सीमेन्ट/स्टील की आपूर्ति विभागीय तौर पर न	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)

		करना।	
27	पैरा-9.3	संविदाकार के बिलों से जल प्रभार की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.77 लाख की हानि बारे।	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
28	पैरा-9.4	दरों की जस्टीफिकेशन तैयार किए बिना कार्यों का आंबटन	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
29	पैरा-9.5	बिना तकनीकी स्वीकृति के राशि ₹16.39 लाख के निर्माण कार्यों को आंबटित करना।	अनिर्णीत
30	पैरा-9.6	तकनीकी स्वीकृति कर राशि से 8.79 लाख से अधिक के लिए कार्य का आंबटन।	अनिर्णीत
31	पैरा-9.7 (9.7.1 से 9.7.7)	गलत गणना के कारण विभिन्न ठेकेदारों को ₹50340 का अधिक भुगतान करना।	अनिर्णीत
32	पैरा-9.7.6	(-यथोपरि-)	निर्णीत (अभिलेख जाँच उपरान्त)
33	पैरा-9.8 (9.9., 9.9.1)	₹4.82 लाख के अतिरिक्त कार्य हेतु संशोधित प्राकलन तैयार न करना।	अनिर्णीत
34	पैरा-9.10	खोखो के निर्माण में अनियमितारें।	अनिर्णीत
35	पैरा-9.11	अभिलेख उपलब्ध न करवाने बारे।	अनिर्णीत
36	पैरा-10	सामान्य भविष्य निधि एवं उपदान/पैन्शन/अंशदायी पैन्शन।	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
37	पैरा-10.1	अंशदायी पैन्शन निधि का सामान्य भविष्य निधि खाता से अलग करने बारे।	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
38	पैरा-10.2	न0प0 द्वारा श्रीमती सरोज बाला के अंशदायी पैन्शन निधि में .23 लाख की राशि का अंशदान न करने बारे।	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
39	पैरा-10.3	मंहगाई भत्ता/अन्तरिम राहत की बकाया राशि को अंशदायी पैन्शन निधि में जमा करने बारे।	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
40	पैरा-10.5	बजट में अनुमानित आय का 1 प्रतिशत बराबर शेयर पैन्शन/उपदान कोष में हस्तांतरित न करना।	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)

41	पैरा-10.6	दिनांक 1.1.06 के बाद सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन करने बारे।	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
	पैरा-11	गाड़ियों की औसत तेल खपत का निर्धारण न करवाने के कारण राशि ₹0.31 लाख की वित्तीय हानि।	अनिर्णीत
42	पैरा-11.1	गाड़ी नम्बर एच0पी09-40-8015 की उपयोगिता बारे।	अनिर्णीत
43	पैरा-11.2	बिना पूर्व स्वीकृति के वाहन को राज्य के बाहर ले जाने बारे।	अनिर्णीत
44	पैरा-11.3	जे0वी0टी0 की परीक्षा हेतु वाहन नम्बर एच0पी0-40 वी 0103 का प्रयोग करने बारे।	अनिर्णीत
अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2011 से 3/2013			
1	पैरा-3	वित्तीय स्थिति बारे।	अनिर्णीत
2	पैरा-7	पूर्व में प्राप्त अनुदान ₹8617291 के व्यय बारे	अनिर्णीत
3	पैरा-8	वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान बारे	अनिर्णीत
4	पैरा-10	गृहकर की बकाया राशि पर 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज न लगाने से 3.99 लाख की हानि	अनिर्णीत
5	पैरा-11	वर्षवार गृहकर की वसूली न करना	अनिर्णीत
6	पैरा-14	रैन बसेरा के माह 3/13 से सम्बन्धित किराये की वसूली न करना	अनिर्णीत
7	पैरा-15	₹129166 का अनियमित व्यय	अनिर्णीत
8	पैरा-17	संशोधित प्राकलन एवं अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त न करना	अनिर्णीत
9	पैरा-18	ठेकेदारों को कम दरों पर सीमेन्ट जारी करने के कारण ₹1210 की हानि बारे।	अनिर्णीत
10	पैरा-19	निर्माण कार्य पर ₹230743 का अपव्यय	अनिर्णीत
11	पैरा-20	जलप्रभार ₹18787 की कटौती न करना	अनिर्णीत
12	पैरा-21	गाड़ियों की औसत तेल खपत का निर्धारण न	अनिर्णीत

		करना	
13	पैरा-22	बिना पूर्व स्वीकृति के वाहन को राज्य से बाहर ले जाना	अनिर्णीत
14	पैरा-23	गाड़ी नम्बर एच0पी0-40-8015 की उपयोगिता बारे	अनिर्णीत
15	पैरा-24	लॉग बुक में यात्राओं के उद्देश्य का उल्लेख न करना	अनिर्णीत
16	पैरा-25	श्री तिलक राज (बेलदार) को चालक के पद पर पदोन्नत करने के कारण ₹35064 अनियमित वयय	अनिर्णीत
17	पैरा-26	बिना औपचारिकताएँ पूर्ण किए ₹47274 का व्यय	अनिर्णीत
18	पैरा-27	सामान्य भविष्य निधि व अन्तिम राशि ₹15000 की दण्ड ब्याज सहित वसूली न करना	अनिर्णीत
अंकेक्षण अवधि 04 / 13 से 03 / 2015			
1	पैरा-3	अंकेक्षण शुल्क	निर्णीत
2	पैरा-4	वित्तीय स्थिति	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
3	पैरा-4 (क)	(-यथोपरि-)	निर्णीत
4	पैरा-5	निवेश	निर्णीत (पुनः प्रारूपित)
5	पैरा-5 (क)	बैंक सावधि जमा योजना पर ₹15368 का कम ब्याज क्रेडिट करना	अनिर्णीत
6	पैरा-6 (1 से 3)	रोकड़ बही का रख रखाव उचित ढंग से न करना	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
7	पैरा-7	बैंक खातों के रख रखाव बारे	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
8	पैरा-8	वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदान	निर्णीत (पैरा अपडेट)
9	पैरा-8 (क)	दिनांक 31.3.15 को अनुदान ₹188.82 लाख व्यय हेतु शेष	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)

10	पैरा-8 (ख)	अवधि 3/13 से पूर्व प्राप्त अनुदान राशि बारे	निर्णीत (पैरा अपडेट)
11	पैरा-8 (ग)	उपयोगिता प्रमाण पत्र बारे	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
12	पैरा-9	गृहकर, दुकानों के किराये, कूड़ा संयत्र व मोबाईल टावर शुल्क की बकाया राशि ₹53.24 लाख की वसूली न करना	निर्णीत (पैरा अपडेट)
13	पैरा-10	गृहकर की निर्धारण सूची तैयार न करना	अनिर्णीत
14	पैरा-11	चलू वित्तीय वर्ष के देय गृहकर का देय तिथि तक भुगतान न करने के कारण सरचार्ज के रूप में ₹3.37 लाख की वित्तीय हानि	अनिर्णीत
15	पैरा-12	दुकानदारों/प्लाट धारकों/कमरों एवं भवन व खोखा धारकों के साथ अनुबन्ध न करने बारे	अनिर्णीत
16	पैरा-13	बिजली शुल्क बारे	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
17	पैरा-14	रेहन बसेरे के टेकेदार से ₹10000 न करना	अनिर्णीत
18	पैरा-15	स्थापना (बजट प्रावधान)	निर्णीत (पैरा अपडेट)
19	पैरा-16	स्थापना पर निर्धारित मापदंडों से अधिक व्यय करने के कारण ₹82.90 लाख का अनियमित भुगतान	अनिर्णीत
20	पैरा-17	श्री तिलक राज (बेलदार) को चालक के पद पर पदोन्नत करने के कारण ₹0.40 लाख का अनियमित व्यय	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
21	पैरा-18	बिना पदों की स्वीकृति के दैनिक भोगियों को नियुक्त करना	अनिर्णीत
22	पैरा-19	सेवा पुस्तिकाओं के अंकेक्षण में पाई गई अनियमितताएं	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
23	पैरा-20	कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं में सेवा का	निर्णीत (प्रस्तुत)

		सत्यापन नियमित तौर पर न करना	उत्तर के आधार पर)
24	पैरा-21	अर्जित अवकाश से सम्बन्धित अभिलेख के अनुरक्षण में पाई गई अनियमितताएं	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
25	पैरा-22	पार्ट टाइम कर्मचारियों को दैनिक भोगी कर्मचारियों के पद पर परिवर्तित करने बारे	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
26	पैरा-23	कूडेदान की मुरम्मत बारे	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
27	पैरा-24	लाईसैन्स फीस की कटौती करने बारे	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
28	पैरा-25	श्रीमती रितु, लिपिक (अनुबन्ध आधार) के वेतन में से ई0पी0एफ0 की कटौती करने बारे	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
29	पैरा-26	सीमेंट की अधिक खपत बारे	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
30	पैरा-27	विद्युत विभाग कांगड़ा को ₹11489 का अधिक भुगतान बारे	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
31	पैरा-28	निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान में से नियमानुसार रायल्टी की कटौती न करना	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
32	पैरा-29	निर्माण कार्य बिलों से जल प्रभार की कटौती न करने के कारण राजस्व ₹0.96 लाख की हानि	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
33	पैरा-30	निर्माण कार्यों को विलम्ब से पूर्ण करने पर आबंटन पत्र की शर्तानुसार ठेकेदारों से ₹7.08 लाख दण्ड शुल्क की वसूली न करना	अनिर्णीत
34	पैरा-31	निर्माण कार्यों के बिलों से श्रमकर की ₹0.64	अनिर्णीत

		लाख की कटौती न करना	
35	पैरा-32	छरों की जस्टीफिकेशन तैयार किये बिना कार्यों का आबंटन करना	अनिर्णीत
36	पैरा-33	सीमेंट को इंडेंट के द्वारा जारी नहीं करना	अनिर्णीत
37	पैरा-34	विभागीय कार्य हेतु सीमेंट जारी करने बारे	अनिर्णीत
38	पैरा-35	पार्किंग के निर्माण पर ₹37.59 लाख के अनुपयोगी व्यय बारे	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
39	पैरा-36	सफाई कार्य को ठेकेदार को देने बारे	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
40	पैरा-37	जी0पी0एफ0 / सी0पी0एफ0 की खाता बहियों के रख-रखाव बारे	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
41	पैरा-38	अंशदायी पेंशन योजना (सी0पी0एस0) के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को पेंशन व उपदान	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
42	पैरा-39 (1 से 4)	गाड़ी नं0 एच0पी0-40-0103 के प्रयोग करने बारे	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
43	पैरा-40	स्थाई वस्तुओ का अन्तशेष शून्य दर्शाने बारे	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
44	पैरा-41	प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे	अनिर्णीत
45	पैरा-42	वर्गीकृत खाता बहियों को तैयार न करना	निर्णीत (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
46	पैरा-43	अग्रिम ₹25000 का समायोजन न करना	निर्णीत (पैरा अपडेटेड)

लघु आपत्तियाँ

क्र० स०	अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि	आपत्ति संख्या	आपत्ति की स्थिति
1	4/62 से 3/64	2 से 4	अनिर्णीत
2	4/64 से 3/66	1 से 20	अनिर्णीत
3	4/66 से 3/68	1 से 18	अनिर्णीत
4	4/68 से 3/71	1 से 21	अनिर्णीत
5	4/71 से 9/74	1 से 54	अनिर्णीत
6	10/74 से 3/77	1 3 से 6 9 से 16 18 से 21 23 से 37 39 से 43	अनिर्णीत अनिर्णीत अनिर्णीत अनिर्णीत अनिर्णीत अनिर्णीत
7	4/77 से 3/78	1,3,4,10,11 13 से 16 18 से 21 23 से 25	अनिर्णीत अनिर्णीत अनिर्णीत अनिर्णीत
8	4/88 से 3/90	1 से 6	अनिर्णीत
9	4/96 से 3/07	1 से 4 6 8 से 14 16 से 17 19 से 35 40 से 49 51 से 58	अनिर्णीत अनिर्णीत अनिर्णीत अनिर्णीत अनिर्णीत अनिर्णीत अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का सार

अवधि 3/15 तक अनिर्णीत पैरों की सं०	254
वर्तमान अवधि 4/15 से 3/17 के दौरान लगाए गए पैरे	(+) 22
वर्तमान अवधि 4/15 से 3/17 के दौरान निर्णीत पैरे	(-) 61
अन्तशेष	215

नोट:- अनिर्णीत पैरों की संख्या क्रमानुसार पैरों/उप पैरों सहित की गई है तथा इनमें लघु आपत्तियों को शामिल नहीं किया गया है।